

# आपकी वृद्ध देखभाल सहायता सेवा

निःशुल्क तथा गोपनीय  
आपका पक्ष, आपकी बात  
(Hindi/हिंदी)



- क्या आप एक वयोवृद्ध व्यक्ति हैं और आपको घर पर थोड़ी सहायता की ज़रूरत है?
- क्या आप वयोवृद्ध लोगों की सहायता करने के लिए उपलब्ध वृद्ध देखभाल सेवाओं के बारे में जानते हैं?
- क्या आपको वृद्ध देखभाल सेवाओं तक पहुँचने में सहायता चाहिए?
- क्या आपको उन वृद्ध देखभाल सेवाओं से कोई समस्या है जिनका आप वर्तमान में उपयोग करते हैं?

ऑस्ट्रेलिया में वयोवृद्ध व्यक्ति, वृद्ध देखभाल सेवाओं का उपयोग करने के हकदार होते हैं। आपको कई तरीकों से सहायता दिया जा सकता है। आप संभवतः इन सेवाओं को प्राप्त कर सकते हैं:

- वे वृद्ध देखभाल सेवाएँ जो घर पर आपकी सहायता करती हैं ताकि आपको आत्मनिर्भर रूप से जीवन बिताने में सहायता मिल सके
- वे अल्पकालीन देखभाल सेवाएँ जो किसी चोट या अस्वस्थता के बाद आपको पुनः अपने पैरों पर खड़ा होने में सहायता करती हैं
- जब आप घर में रहने में अक्षम हो जाते हैं तो वृद्ध देखभाल गृह में जगह।

## हम आपकी सहायता कैसे कर सकते हैं?

एडीए ऑस्ट्रेलिया ऐसे एडवोकेट्स उपलब्ध करवाता है जो निम्नांकित में आपकी सहायता करते हैं:

- यह जानने में कि सेवाएँ उपलब्ध हैं
- देखभाल तथा सहायता सेवाओं तक पहुँचने में
- आपकी वृद्ध देखभाल सेवाओं का अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने में
- वृद्ध देखभाल की लागतों और शुल्कों को समझने में
- आपकी वृद्ध देखभाल सेवाओं के बारे में समस्याओं और शिकायतों का हल निकालने में
- अपने अधिकारों को समझने में और यह सुनिश्चित करने में कि आपके साथ सम्मानजनक और उचित व्यवहार हो
- आपकी देखभाल में तथा जिन चीज़ों का आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है उस बारे में आपको अपनी बात कहने में।

## एडवोकसी (पक्ष-समर्थन) क्या होता है?

एडवोकसी द्वारा आपको अपनी इच्छायें व्यक्त करने में सहायता की जाती है और आपके अधिकारों तथा ज़रूरतों के लिए आवाज़ उठाई जाती है। एडीए ऑस्ट्रेलिया का एडवोकेट एक निष्पक्ष व्यक्ति होता है जो आपकी परिस्थिति के बारे में सुन सकता है और समस्याओं का हल निकालने में आपकी सहायता कर सकता है।

एडवोकेट आपकी तरफ होता है और आपकी इच्छाओं के अनुसार आगे बढ़ता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि, वे आपकी निजता की रक्षा करते हैं और जब तक आप नहीं चाहते वे आपके बारे में किसी से भी बात नहीं करते हैं।

## हमारी सेवाएँ होती हैं:

- निःशुल्क, गोपनीय, स्वतंत्र
- आपके द्वारा निर्देशित

1800 700 600 पर हमसे बात करें



यदि आपको एक दुभाषिये की ज़रूरत है,  
तो कृपया 131 450 पर फोन करें

